उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एस/एस) नं0. 1040/2019

जीवन लाल ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .... प्रतिवादीगण

उपस्थितः
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री हरेंद्र बेलवाल।
श्री पी.सी. बिष्ट, अतिरिक्त सी.एस.सी. उत्तराखंड राज्य के लिए।

तारीखः 27 जुलाई, 2021

निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

यह एक स्वीकृत रिट याचिका है और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, इसकी सुनवाई अंततः कर गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता ने 15 जुलाई, 2020 को रजिस्ट्री के समक्ष रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारत के संविधान के अधीन दायर करके निम्नलिखित प्रार्थना के लिए अनुरोध किया हैः–

"i. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आलोच्या आदेश दिनांक 25.04.2019 को रिट आदेश या निर्देश को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई रिट जारी करें, जिसमें कार्यशाला प्रशिक्षक के पद पर निरंतरता बने रहने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के निवेदन को खारिज कर दिया गया है।

ii. सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करके याचिकाकर्ता को सरकारी पॉलिटेक्निक शक्तिफार्म में कार्यशाला प्रशिक्षक आशुलिपि के पद पर बिना किसी रुकावट के अपनी नियुक्ति जारी रखने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादीगण को परमादेश देने वाले रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो दिनांक 12.02.2018 को नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने तक संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को जारी रखने के लिए।

iii- जब तक याचिकाकर्ता को नियमित दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक उसे समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर समान रूप से नियुक्त प्रशिक्षक

के बराबर नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

iv. वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिवादीओं को परमादेश देते हुए जनवरी 2019 के महीने के बाद एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और भविष्य में याचिकाकर्ता को बिना किसी रुकावट के वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

v- कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे।

vi- याचिका का व्यय मौजूदा याचिकाकर्ता को अधिनिर्णय कर दें।"

3. बाद में, कुछ बाद के घटनाक्रमों के कारण, याचिकाकर्ता ने एक संशोधन आवेदन को प्राथमिकता दी थी, जो संशोधन आवेदन 2020 का 4653, जिसके तहत, उन्होंने 14 जनवरी, 2020 के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत राज्य ने सरकारी पॉलिटेक्निक शक्ति फार्म में कार्यशाला प्रशिक्षक के पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह उक्त सरकारी आदेश, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उचित संशोधन की मांग के आधार पर चुनौती दी गई थी, जिसे अंततः इस न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा अनुमति दी गई थी और संशोधित राहत को निम्नलिखित प्रभावों में जोड़ा गया हैः–

"iii a– सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सरकारी आदेश दिनांक 14.01.2020 को रद्द करें, (इस रिट याचिका के लिए अनुलग्नक संख्या 10)।

iii b– सरकारी पॉलिटेक्निक, काशीपुर और सरकारी पॉलिटेक्निक, नैनीताल में संविदा के आधार पर कार्य प्रशिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता को कार्य जारी रखने के लिए प्रतिवादी को परमादेश देते हुए एक रिट, परमादेश या निर्देश जारी करें।"

4. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो अनुतोष चाहा गया था उसके, कुछ तथ्य, जो याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए हैं, कि याचिकाकर्ता 4 सितंबर, 2009 को सरकारी पॉलिटेक्निक, शक्तिफार्म में एक कार्यशाला प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत था। हालांकि यह विवाद में नहीं है कि 2009 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रकृति संविदात्मक थी और इसे अतिथि व्याख्याता के रूप में जारी रखा जाना था, जिसे पॉलिटेक्निक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न शैक्षणिक वर्षों के लिए आमंत्रित किया जाता था। हालांकि, जब याचिकाकर्ता की सेवाओं को बंद करने के लिए प्रतिवादी द्वारा कार्रवाई

की जा रही थी, तो उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। याचिका नं. 2019 का 445, जिसका इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 7 मार्च, 2019 को अपने निर्णय द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा को निर्देश जारी किए गए थे कि याचिकाकर्ता को संविदा के आधार पर पुनः नियुक्त करने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2019 के याचिकाकर्ता के अभिवेदन पर निर्णय लिया जाए।

5. 7 मार्च, 2019 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देश के अनुसरण में, प्रतिवादी ने एक निर्णय लिया है, जो वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित है, जिसके तहत, याचिकाकर्ता द्वारा अभिवेदन अभ्यावेदन को 25 अप्रैल, 2019 को खारिज कर दिया गया था, और संविदा के आधार पर एक कार्यशाला प्रशिक्षक के रूप में उनकी निरंतरता को उनकी पुनः नियुक्ति के माध्यम से प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया था।

6. वर्तमान रिट याचिका की दायर होने के पश्चात्, जब इस मामले पर न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विचार किया गया था, तो समन्वय पीठ ने 25 जुलाई, 2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः—

> "सुना।
>
> स्वीकार।
>
> राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचना कर जवाबी शपथ पत्र दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहा, जो स्वीकार किया गया।
>
> याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात्, अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक नियमित चयन नहीं किया जाता है, तब तक याचिकाकर्ता को कार्यशाला प्रशिक्षक के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी।
>
> तद्नुसार अंतरिम अनुतोष प्रार्थना पत्र (2019 का सी. एल. एम. ए. संख्या 6030) निस्तारित की जाती है।"

7. रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, एक अंतरिम उपाय के माध्यम से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक कार्यशाला प्रशिक्षक के उक्त पद पर नियमित चयन नहीं किया जाता है, तब तक याचिकाकर्ता संविदा के आधार पर कार्य करता रहेगा।

8. राज्य द्वारा 25 जुलाई, 2019 के अंतरिम आदेश के विरुद्ध विशेष अपील सं. 2009 का 876, राज्य और अन्य बनाम जीवन लाल दायर की तथा खण्ड पीठ द्वारा आदेश 30 सितंबर, 2019 से विशेष अपील को खारिज कर दिया, साथ ही

रिट याचिका के प्रतिवादी को निर्देश दिया गया था कि वह एकपक्षीय अंतरिम आदेश के अनुदान के विरूद्ध आवेदन कर सकते हैं।

9. याचिकाकर्ता द्वारा चाहे गए संशोधन जिसकी मांग याचिकाकर्ता द्वारा की गयी थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि संशोधन कुछ भी नहीं था, बल्कि एक और अवमानना याचिका सं0 2019 का 545, जीवन लाल बनाम ओम प्रकाश और एक अन्य, जिसे याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में न्यायालय द्वारा पारित 25.07.2019 के अंतरिम आदेशों के अनुपालन न करने के लिए किया गया है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार प्रस्तावित संशोधन को अनुमति दी गई थी और नये अनुतोष को सम्मिलित करने की अनुमति दी गई थी। चूंकि यह सरकारी आदेश को चुनौती देने के लिए प्रभावी था, जिसके आधार पर सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रशिक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया था। जहां तक 4 जनवरी, 2020 के सरकारी आदेश को चुनौती देने से संबंधित संशोधित अनुतोष का प्रश्न है, जिसके आधार पर सरकार में कार्यशाला प्रशिक्षक का पद पॉलिटेक्निक, शक्तिफार्म को समाप्त कर दिया गया, न्यायालय की राय में यह सरकारी आदेश, विशेष रूप से एक कार्यकारी निर्देश है, जो राज्य के दायरे और क्षमता के भीतर है, कि पद को बनाए रखना है या समाप्त करना है और पद को समाप्त करने के लिए उक्त कार्यकारिणी के निर्देश में, जैसा कि आलोच्या सरकारी आदेश नं0 80/XLI-I/20-20/13 दिनांक 14 जनवरी, 2020, जिसके तहत, कार्यशाला प्रशिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया था, राज्य की निर्णय लेने की शक्ति के भीतर होगा, जिसे कानून के तहत किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह हमेशा नियोक्ता होता है जिसे कर्मचारियों की संख्या निर्धारण करनी होती है, जो उसके द्वारा आवश्यक हैं।

11. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उक्त सरकारी आदेश को दी गई चुनौती का संबंध है तो न्यायालय की राय में उपरोक्त सरकारी आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्ता के पास इसे चुनौती देने के लिए कोई कारण नहीं है क्योंकिः—

i- पद को बनाने या सम्पत्ति करनी की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सरकारी पॉलिटेक्निक में राज्य सरकार को एक कार्यकारिणी या प्रशासनिक पक्ष पर विशेष रूप से प्रदान की गयी है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी पद को समाप्त करने की कार्रवाई मनमाना है, या योग्यता विहीन है।

ii- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह दलील कि पद को समाप्त कर उसकी अवमानना याचिका दायर करने के परिणामस्वरूप हुई है, फिर से इस कारण से मान्य नहीं है कि अवमानना याचिका न्यायालय द्वारा 25.07.2019 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में उसकी निरंतरता की सीमा तक सीमित थी।

12. सरकारी आदेश द्वारा पद को सम्परित के बाद, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी जा रही है, याचिकाकर्ता के अधिकार को इस परिप्रेक्ष्य से माना जाना चाहिए कि एक कार्यशाला प्रशिक्षक के रूप में संस्थापन में बने रहने की याचिकाकर्ता की अपनी क्षमता स्वयं एक संविदात्मक कर्मचारी होने की है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रकृति स्वयं संविदात्मक आधार पर उसकी नियुक्ति की शर्तों तक सीमित है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति के संविदा की शर्तों से परे भी सेवा में बने रहने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं बनाता है।

13. इसलिए, एक संविदा कर्मचारी के रूप में उस स्थिति में, वह यह तर्क नहीं दे सकता कि पद को सम्परित करने का कार्य उसके किसी भी कानूनी अधिकार से वंचित था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लागू किया जा सकता था। इसलिए, इस दृष्टि से भी कि चूंकि याचिकाकर्ता को खुद को जारी रखने का कोई कानूनी रूप से कायम रखने का योग्य अधिकार नहीं था, क्योंकि वह एक संविदात्मक कर्मचारी था, इसलिए उसे 14 जनवरी, 2020 के अपने सरकारी आदेश द्वारा राज्य द्वारा पद को सम्परित करने के अधिनियम को चुनौती देने के लिए वाद हेतुक कोई कारण नहीं मिला था। इसलिए, याचिकाकर्ता की यह याचिका बरकरार रखने योग्य नहीं है और न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से इन्कार कर दिया है।

14. बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः इस परिप्रेक्ष्य में अपनी याचना पर बल देते हुए निवेदन किया है कि अन्य सरकारी पॉलिटेक्निक में कार्यशाला प्रशिक्षकों की रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनके विरूद्ध, याचिकाकर्ता को उन सरकारी पॉलिटेक्निक में नियुक्ति देकर समायोजित किया जा सकता है जहां कार्यशाला प्रशिक्षकों के पद पर रिक्तियां मौजूद हैं।

15. सबसे पहले, यह याचना रिट याचिका में विचार के दायरे में नहीं आती है क्योंकि यह रिट याचिका के दायरे से बाहर है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जैसा कि (2006) 6 एससीसी 666, अनूप कुमार कुंडू बनाम सुदीप चरण चक्रवर्ती और अन्य, और (2010) 1 एससीसी 234, भारत अमृतलाल कोठारी और एक अन्य बनाम दोसुखन समाधान सिंधी और अन्य, जो यह प्रावधान करता है

कि उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर निर्णय लेते समय, उसके सामने उठाए गए विवाद या याचना से परे नहीं जा सकता है, जिसका दावा रिट याचिका में किया गया है। भारत अमरतलाल कोठारी (सुप्रा) के निर्णय के पैराग्राफ 29,30,33,34,36,37 और 42 यहां दिए गए हैः–

> "29. उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य जिसके लिए अनुरोध नहीं किया गया है, इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इसके तहत प्रत्येक याचिका अनुच्छेद 226संविधान में एक राहत खंड होना चाहिए। जब भी याचिकाकर्ता हकदार होता है या एक से अधिक राहत का दावा कर रहा होता है, तो उसे सभी राहतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत, यदि वादी, न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी विशेष राहत के लिए मुकदमा चलाना में चूक करता है, जिसे वह प्राप्त करने का हकदार है, तो उसे बाद में इस प्रकार छोड़े गए या छोड़े गए भाग के संबंध में मुकदमा चलाना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
>
> 30. यद्यपि संहिता के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के तहत कार्यवाही के लिए लागू नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता में बनाए गए सामान्य सिद्धांत रिट याचिकाओं पर भी लागू होंगे। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह दायित्व है कि वह न्यायालय से मांगी गई सभी राहतों का दावा करें। आम तौर पर, न्यायालय केवल उन अनुतोषों को प्रदान करेगी जो विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई हैं। हालांकि न्यायालय ने अनुतोष देने में बहुत विवेकाधिकार किया है, लेकिन न्यायालय मानदंडों और सिद्धांतों की अनदेखी और उन्हें दरकिनार नहीं कर सकती है। राहत का शासी अनुदान, एक राहत प्रदान करें जिसके लिए याचिकाकर्ता ने अनुरोध भी नहीं किया था।
>
> 33. यद्यपि एक उच्च न्यायालय के पास प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहत को ढालने की शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक रिट याचिका के मसौदा तैयार करने वाले को उचित राहत के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए जिसके लिए कहा जाना चाहिए और इसका पूरा भार न्यायालय पर डाल देना चाहिए।
>
> 34. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के अधीन सविधान के अनुच्छेद 226 के शक्तियों का स्वप्रेरणा संज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बकरियों और भेड़ों की अभिरक्षा देने से इन्कार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच कर रहा था, जो विशेष आपराधिक आवेदन उनके द्वारा अनुच्छेद 226 के अधीन दायर किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता को केवल उन राहतों का दावा करने में उचित ठहराया गया था, जिनके लिए पहले संदर्भ दिया गया है।
>
> 36. याचिका को निष्पक्ष रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 से 6, अपीलकर्ता नं. 1 को बकरियों और भेड़ों की अभिरक्षा सौंपने के कारण उन्हें या उनमें से किसी को किस तरह से नुकसान या हानि हुई थी, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं बताया गया था। 1 और अंततः प्रत्यर्थी नं. 8 पाटन में स्थित पंजारापोल और न ही अपीलकर्ता नं. 1 को यह प्रतिवाद करने की अनुमति दी गई थी कि वास्तव में प्रतिवादी

संख्या 1 को कोई नुकसान या हानि नहीं हुई थी। प्रतिवादी सं0 1 से 6 या उनमें से किसी को कष्ट हुआ।

37. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय इस मामले में बहुत अधिक उदार था। आखिरकार, यह जेल में बंद किसी व्यक्ति या किसी बंधुआ मजदूर या किसी, व्यक्तिक रूप से किसी पक्ष या सार्वजनिक उत्साही नागरिक की याचिका नहीं थी, जो अदालत के संज्ञान में घोर अन्याय लाने की मांग कर रही थी। यहाँ, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के रूप में प्रतिवादी सं0 1 से 6 थे। यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी सं0 1 से 6 को अपीलकर्ता संख्या 1 और/या प्रतिवादी सं0 8 को बकरियों और भेडों को सौंपने के कारण क्षति या हानि हुई, साबित किए जाने वाले तथ्यों पर निर्भर करता है। आम तौर पर, इस तरह की कवायद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट में नहीं की जा सकती है।

42. मामले के अभिलेख से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि अपीलकर्ता नं. 1 प्रत्येक प्रतिवादी को मुआवजे और लागत के रूप में रु. 75,000/– की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं था। प्रतिवादी सं0 1 से 6 तक और प्रतिवादी नं. 8 इसमें प्रतिवादी की ओर से सम्बंधित पशुओं के भरण–पोषण और उपचार की लागत दिशा को भी रद्द सकता है।"

16. अतः कार्यशाला प्रशिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए प्रतिवादी को इस प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, जो अन्यथा अन्य सरकारी पॉलिटेक्निकों में उपलब्ध है, जो विशेष रूप से उन सरकारी पॉलिटेक्निकों के अनन्य प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं।

17. सरकारी पॉलिटेक्निक में उपलब्ध अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध उसे समायोजित करने के लिए याचिकाकर्ता की अभिवाक् प्रतिगृहीत करना नहीं करने का एक और कारण है, और यह इस आधार पर है कि, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, कार्यशाला प्रशिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति, हालांकि 2021 में की गई थी, अनुबंध के आधार पर थी और वह कार्यशाला प्रशिक्षक की स्वीकृत कैडर संख्या के खिलाफ काम करना जारी रखने के लिए इस तरह का कोई ग्रहणाधिकार नहीं लेगा, जो अन्यथा 14 जनवरी, 2020 के आक्षेपित सरकारी आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और पद के उत्सादन के परिणामस्वरूप, यह नहीं होगा कि सेवा में उनका विघटन छंटनी का रूप ले रहा था, जिसके द्वारा, उन्हें अन्य सरकार में समायोजित किया जा सकता था। पॉलिटेक्निक, जैसा कि यह प्रार्थना की गई है, इसे औद्योगिक कानून के दायरे में लाने के लिए, छंटनी किए गए कर्मचारी के अवशोषण के लिए।

18. इन घटनाओं और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत प्रचलित परिस्थितियों में, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि उसकी संविदात्मक नियुक्ति,

विशेष रूप से नियुक्ति के अनुबंध की शर्तों, 14 जनवरी, 2020 के सरकारी आदेश को चुनौती देने के लिए मांगी गई राहत और याचिकाकर्ता को जारी रखने के लिए परमादेश आदेश जारी करने के लिए, अनुबंध के आधार पर, जैसा कि अन्य सरकारी कैडर की संख्या के खाली पद के खिलाफ है। पॉलिटेक्निक को रिट याचिका में पारित या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

19. नतीजतन, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

शरद कुमार शर्मा, जे।)
27.07.2021

शिव